

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 470/2016/भीलवाड़ा

मैसर्स आर.के. स्टोन क्रेशिंग  
इण्डस्ट्रीज, एलएनटी रोड़,  
भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी

बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-सी, भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.पी.शर्मा,  
अभिभाषक।  
श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से.  
निर्णय दिनांक : 24.08.2017

### निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 142/वैट/2014-15 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 20.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, भीलवाड़ा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें आरोपित राशि रुपये 5,000/- को चुनौती दी गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर बताया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.10.2014 में हमारे द्वारा वैट-11 को देरी से प्रस्तुत करने के कारण फीस रुपये 5,000/- आरोपित किया है। हमारी फर्म की उक्त अवधि की बैलेन्स शीट विलम्ब से तैयार होने के कारण वैट-11 रिटर्न भी विलम्ब से प्रस्तुत किया है। व्यवसाई ने स्वयं का बिक्री कर मुक्त होने के कारण आरोपित शास्ति को अपासत करने का निवेदन किया है।

3. विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया की व्यवसायी ने वैट-11 समय पर प्रस्तुत नहीं किया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट-11 विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क आरोपित किया है। जांच पर पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 19ए के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क आरोपित किया है। शास्ति आरोपित नहीं की है। कर निर्धारण आदेश एवं राजस्थान वैट नियम 19ए का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार :-

"19A Late Fee- Where a dealer furnishes the return after the prescribed Time, he shall pay a late fee of -

(i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees twenty five thousand, in case dealer is required to pay tax for each month or part thereof under

Section 20 of the Act;

लगातार.....2

(ii) rupees fifty per day subject to a maximum, of rupees one thousand, in case


There is no turnover of the dealer during the period under return;  
and

(iii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand,

In all other cases.”

उक्त प्रावधान अनुसार विलम्ब शुल्क का आरोपण विधि सम्मत है, क्योंकि विलम्ब शुल्क स्वतः देय है। यह शास्ति नहीं है। इसमें व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाई को रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने की छूट किसी भी आरवैट एक्ट की धारा अथवा नियम में छूट प्रदान नहीं की गई है। अतः उक्त वैट नियम 19ए के अनुसार कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की जाकर आरोपित विलम्ब शुल्क को कायम रखा जा कर अपीलार्थी व्यवसायी की अपील अस्वीकार की जाती है। और अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य